उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
हरिद्वार– 249404

संख्याः 438/01/E-4/FOREST (DR)/2024-25, **दिनांकः 21 जनवरी, 2026**

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सहायक वन संरक्षक, लौगिंग अधिकारी एवं वनक्षेत्राधिकारी संयुक्त मुख्य (लिखित) परीक्षा–2025 के सम्बन्ध में निम्न तालिका के स्तम्भ–2 में उल्लिखित अभ्यर्थीगण के प्रत्यावेदन आयोग कार्यालय को प्राप्त हुए हैं, जिन्हें सम्यक् रूप से विचारित करते हुए तालिका के स्तम्भ–03 के अनुसार निम्नवत् निस्तारित कर दिया गया है–

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>अभ्यर्थी का नाम</th><th>निस्तारण आदेश</th></tr>
<tr><td>1</td><td>विशाल सैनी, वरूण शर्मा, नितिन कण्डारी, नितिन सुन्द्रियाल, अमित सिंह, कंचन सिंह, नीशू सैनी एवं मुस्कान</td><td>अभ्यर्थीगण द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 आयोग द्वारा रिट याचिका संख्याः 447/2025 (एस0/बी0) विशाल सैनी एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा दिनांकः 26.11.2025 को पारित निर्णय के अनुपालन में अभ्यर्थियों के सूचनार्थ दिनांकः 06.01.2025 को विज्ञप्ति/शुद्धि पत्र जारी कर दी गई है तथा एक विस्तृत विज्ञप्ति आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की गई है, जिसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि "सहायक वन संरक्षक, लौगिंग अधिकारी एवं वनक्षेत्राधिकारी संयुक्त परीक्षा–2025' हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्याः A-1/ E-4/FOREST (DR)/ 2024-25, दिनांकः 30 जनवरी, 2025 में स्केलिंग पद्वति लागू नहीं किये जाने से सम्बन्धित अति महत्वपूर्ण निर्देश के बिन्दु संख्याः 18 एवं महत्वपूर्ण निर्देश के बिन्दु संख्याः 17(ग)12 तथा सामान्य निर्देश के बिन्दु संख्याः 18(22) को निरस्त किया जाता है। सहायक वन संरक्षक, लौगिंग अधिकारी एवं वनक्षेत्राधिकारी संयुक्त परीक्षा–2025 के अन्तर्गत मुख्य (लिखित) परीक्षा में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली–2022 के भाग पांच के विनियम–6 के अनुसार स्केलिंग पद्वति लागू की जाएगी।"

अतः उक्त के दृष्टिगत "सहायक वन संरक्षक, लौगिंग अधिकारी एवं वनक्षेत्राधिकारी संयुक्त परीक्षा–2025 के अन्तर्गत स्केलिंग पद्वति लागू किये जाने के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों द्वारा किये गये अनुरोध को मा0 आयोग द्वारा स्वीकार करते हुए तदनुसार उक्त प्रत्यावेदन निस्तारित किया गया है।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>ACF/FRO Exam Appeared Candidates</td><td rowspan="3">अभ्यर्थीगण द्वारा ई–मेल के माध्यम से प्रेषित प्रत्यावेदन के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 आयोग द्वारा रिट याचिका संख्याः 447/2025 (एस0/बी0) विशाल सैनी एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा दिनांकः 26.11.2025 को पारित निर्णय के अनुपालन में अभ्यर्थियों के सूचनार्थ दिनांकः 06.01.2025 को विज्ञप्ति/शुद्धि पत्र जारी कर दी गई है तथा एक विस्तृत विज्ञप्ति आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की गई है, जिसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि "सहायक वन संरक्षक, लौगिंग अधिकारी एवं वनक्षेत्राधिकारी संयुक्त परीक्षा–2025' हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्याः A-1/ E-4/FOREST (DR)/ 2024-25, दिनांकः 30</td></tr>
<tr><td>3</td><td>AMIT RANA (Roll No : 124789)</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Suraj Karki</td></tr>
</table>

		जनवरी, 2025 में स्केलिंग पद्वति लागू नहीं किये जाने से सम्बन्धित अति महत्वपूर्ण निर्देश के बिन्दु संख्याः 18 एवं महत्वपूर्ण निर्देश के बिन्दु संख्याः 17(ग)12 तथा सामान्य निर्देश के बिन्दु संख्याः 18(22) को निरस्त किया जाता है। ***सहायक वन संरक्षक, लौगिंग अधिकारी एवं वनक्षेत्राधिकारी संयुक्त परीक्षा–2025*** *के अन्तर्गत मुख्य (लिखित) परीक्षा में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली–2022 के भाग पांच के विनियम–6 के अनुसार स्केलिंग पद्वति लागू की जाएगी।"* **2.** "सहायक वन संरक्षक, लौगिंग अधिकारी एवं वनक्षेत्राधिकारी संयुक्त परीक्षा–2025' के अन्तर्गत दिनांक 24.11.2025 से 28.11.2025 तक सम्पन्न मुख्य (लिखित) परीक्षा के सम्बन्ध में शीघ्र ही सम्बन्धित अनुभागों द्वारा मूल्यांकन की कार्यवाही की जानी है। चूंकि दिनांक 24.11.2025 से 28.11.2025 तक सम्पन्न मुख्य परीक्षा के आधार पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा रही है। अतः उक्त के दृष्टिगत "सहायक वन संरक्षक, लौगिंग अधिकारी एवं वनक्षेत्राधिकारी संयुक्त परीक्षा–2025 के सम्बन्ध में अभ्यर्थीगण द्वारा किये अनुरोध पर कोई कार्यवाही अपेक्षित न होने के कारण मा0 आयोग द्वारा तदनुसार उक्त प्रत्यावेदन निस्तारित किया गया है।
5	Kajal Tamta	अभ्यर्थीगण द्वारा ई–मेल के माध्यम से प्रेषित प्रत्यावेदन के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 आयोग द्वारा रिट याचिका संख्याः 447 / 2025 (एस0 / बी0) विशाल सैनी एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा दिनांकः 26.11.2025 को पारित निर्णय के अनुपालन में अभ्यर्थियों के सूचनार्थ दिनांकः 06.01.2025 को **विज्ञप्ति / शुद्धि पत्र** जारी कर दी गई है तथा एक विस्तृत विज्ञप्ति आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की गई है, जिसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि ***"सहायक वन संरक्षक, लौगिंग अधिकारी एवं वनक्षेत्राधिकारी संयुक्त परीक्षा–2025'*** *हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्याः A-1/ E-4/FOREST (DR)/ 2024-25, दिनांकः 30 जनवरी, 2025 में स्केलिंग पद्वति लागू नहीं किये जाने से सम्बन्धित अति महत्वपूर्ण निर्देश के बिन्दु संख्याः 18 एवं महत्वपूर्ण निर्देश के बिन्दु संख्याः 17(ग)12 तथा सामान्य निर्देश के बिन्दु संख्याः 18(22) को निरस्त किया जाता है।* ***सहायक वन संरक्षक, लौगिंग अधिकारी एवं वनक्षेत्राधिकारी संयुक्त परीक्षा–2025*** *के अन्तर्गत मुख्य (लिखित) परीक्षा में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली–2022 के भाग पांच के विनियम–6 के अनुसार स्केलिंग पद्वति लागू की जाएगी।"* **2.** "सहायक वन संरक्षक, लौगिंग अधिकारी एवं वनक्षेत्राधिकारी संयुक्त परीक्षा–2025' के अन्तर्गत दिनांक 24.11.2025 से 28.11.2025 तक सम्पन्न मुख्य (लिखित) परीक्षा के सम्बन्ध में शीघ्र ही सम्बन्धित अनुभागों द्वारा मूल्यांकन की कार्यवाही की जानी है। चूंकि दिनांक 24.11.2025 से 28.11.2025 तक सम्पन्न मुख्य परीक्षा के आधार पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा रही है, इसलिए वैकल्पिक विषयों अथवा सम्पूर्ण परीक्षा की पुनः कराये जाने से परीक्षा की प्रक्रिया बाधित होगी एवं अनावश्यक व्यय भी होगा। अतः उक्त के दृष्टिगत "सहायक वन संरक्षक, लौगिंग अधिकारी एवं वनक्षेत्राधिकारी संयुक्त परीक्षा–2025'' के सम्बन्ध में अभ्यर्थीगण द्वारा किये अनुरोध को अस्वीकार करते हुए मा0 आयोग द्वारा तदनुसार उक्त प्रत्यावेदन निस्तारित किया गया है।
6	सुमित राणा (अनु–122800)	
7	Manas Pandey, Ankiii, Anjani Agrawal, Antariksha Bahuguna, Aspirant (Roll no-102722), Richa rawat (Roll no-105904) Ans Vikas panwar	

8	देवेंद्र कुमार (अनु–121810)	अभ्यर्थी द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विज्ञापन के सापेक्ष ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जाने के उपरान्त प्रविष्टियों को संशोधित किये जाने का अतिरिक्त 10 दिन का समय प्रदान किया गया है, परन्तु मुख्य परीक्षा हेतु शुल्क लिये जाने एवं वरीयता भरे जाने के लिए अतिरिक्त समय प्रदान किये जाने का प्राविधान नहीं है। अतः उक्त के दृष्टिगत अभ्यर्थी द्वारा किये गये अनुरोध को मा0 आयोग द्वारा तद्नुसार अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया है।

SD/-
(अशोक कुमार पाण्डेय)
सचिव।